भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1313

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : कृषि अवसंरचना कोष

1313. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि अवसंरचना कोष से किए गए बजट आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस निधि के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर गुजरात में कितनी परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है; और

(ग) कृषि अवसंरचना कोष से विशेषकर सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय पर कितना प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): किसानों की आय बढ़ाने के लिए न केवल कृषि उपज का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है, अपितु आधुनिक फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से फसलोपरांत नुकसान को कम करना और किसानों के लिए कीमतों की बेहतर प्राप्ति सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। देश में फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना में मौजूदा कमी को दूर करने के उद्देश्य से, फार्म गेट भंडारण और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2020-21 में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) की प्रमुख स्कीम शुरू की गई थी, ताकि किसान अपनी कृषि उपज को उचित रूप से संग्रहीत तथा संरक्षित कर फसलोपरांत नुकसान तथा बिचौलियों की संख्या में कमी के साथ उन्हें बेहतर मूल्य पर बाजार में बेच सकें। गोदामों, कोल्ड स्टोर, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, राईपनिंग चैंबर आदि जैसे बेहतर फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना से किसान सीधे उपभोक्ताओं के बड़े समूह को बेच सकेंगे और इस प्रकार, किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी। इससे किसानों की समग्र आय में सुधार होगा। इसके अलावा, एआईएफ स्कीम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देकर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों को लाभान्वित करना है। एआईएफ के तहत, ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान किया गया है, जिसमें ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा 9% है। यह स्कीम 2020-21 से 2032-33 तक प्रचालनात्मक है।

इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर 2 करोड़ रूपये की ऋण सीमा तक 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज छूट मिलती है। यह ब्याज छूट अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है। 2 करोड़ रूपये से अधिक के ऋणों के मामले में, ब्याज छूट 2 करोड़ रूपये तक सीमित है। इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं के लिए माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रूपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध है। इस कवरेज के लिए शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2032-33 के लिए योजना के लिए ब्याज छूट लागत, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और पीएमयू के प्रशासनिक लागत के लिए 10636 करोड़ रुपये की राशि बजटीय सहायता के रूप में प्रदान की गई है।। विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	घटक का नाम	आबंटित फंड
1	ब्याज छूट लागत	7907 करोड़ रुपये
2	क्रेडिट गारंटी लागत	2629 करोड़ रुपये
3	पीएमयू की प्रशासनिक लागत	100 करोड़ रुपये
कुल		10636 करोड़ रुपये

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान एआईएफ स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत नहीं	स्वीकृत राशि
1	मध्य प्रदेश	7,701	5,853
2	महाराष्ट्र	6,860	4,151
3	राजस्थान	1,802	2,310
4	गुजरात	2,072	2,215
5	उत्तर प्रदेश	3,854	3,636
6	हरियाणा	2,704	2,108
7	पंजाब	12,003	3,116
8	तेलंगाना	1,662	2,178
9	कर्नाटक	2,208	2,148
10	आंध्र प्रदेश	680	1,116
11	पश्चिम बंगाल	2,537	1,441
12	तमिलनाडु	5,889	1,189
13	छत्तीसगढ	814	1,008
14	ओडिशा	1,098	810
15	असम	409	726
16	बिहार	848	680
17	केरल	1,600	604
18	उत्तराखंड	236	315
19	झारखंड	225	255
20	हिमाचल प्रदेश	347	137
21	जम्मू और कश्मीर	88	198
22	दिल्ली	7	10
23	गोवा	19	10
24	मेघालय	2	8
25	चंडीगढ़	2	8

26	अरुणाचल प्रदेश	5	6
27	त्रिपुरा	5	10
28	नागालैंड	0	0
29	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	1
30	पुदुचेरी	2	2
31	मणिपुर	3	1
32	मिजोरम	0	0
33	सिक्किम	0	0
34	लद्दाख	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0
36	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	0	0
	कुल	**55,683**	**36,250**

(ग): एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे द्वारा योजना के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन के लिए दिसंबर, 2023 में एआईएफ का प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया था, जो मुख्य रूप से चयनित राज्यों के लाभार्थियों और किसानों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित था। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं।

1. इस अध्ययन के आधार पर, 26 जनवरी 2025 तक एआईएफ के तहत कृषि क्षेत्र में निवेश से 9 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। स्वीकृत परियोजनाओं में से, लगभग 97% निर्मित परियोजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती हैं।

2. पीक सीजन में प्रति इकाई नियोजित व्यक्तियों की औसत संख्या 11 पाई गई। यह औसत राजस्थान में सबसे अधिक अर्थात 27 तथा महाराष्ट्र राज्य में सबसे कम अर्थात 5 थी।

3. इसके अलावा, एआईएफ के तहत बनाए गए भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर से लगभग 550 एलएमटी भंडारण क्षमता की वृद्धि हुई है, जिसमें लगभग 510.6 एलएमटी शुष्क भंडारण और लगभग 39.4 एलएमटी शीत भंडारण क्षमताएं शामिल हैं (26.01.2025 तक)। इस अतिरिक्त भंडारण क्षमता से प्रति वर्ष 20.4 एलएमटी खाद्यान्न और 3.9 एलएमटी बागवानी उत्पादों की बचत हो सकती है।

4. इस स्कीम के तहत बनाए गए कृषि प्रसंस्करण केंद्र किसानों की उपज का समय पर मूल्य संवर्धन कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में 20% तक की वृद्धि हुई है और फसलोपरांत होने वाले नुकसान में कमी आई है। इस स्कीम के तहत स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और बेहतर फसल अवशेष प्रबंधन पद्धतियों को अपना रहे हैं ।

5. 31 प्रतिशत एआईएफ इकाइयों ने सरकारी सब्सिडी का भी लाभ उठाया है। इस प्रकार एआईएफ के अंतर्गत संयोजन होने के कारण उन्हें लाभ हुआ है।

6. कुल इकाइयों में से लगभग 85 प्रतिशत के लिए एआईएफ ऋण की उपलब्धता इकाई शुरू करने का मुख्य कारण थी ।

*****